173/2017

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 22/?/22 | वकुलान उप०। मन्य कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली वास्ते सुनाने आदेश दिनांक 19/3/22 को पेश हो। SDO |
| 19/3/22 | वकुलान उप०। बहस सुने हुए अधिक समय होने से पुनः बहस सुनने हेतु पत्रावली आयन्दा दिनांक 26/4/2022 को पेश हो। S.D.O |
| 26/4/22 | वकुलान उप०। उभयपक्ष की पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14/05/2022 को पेश हो। S.D.O. |
| 14/5/22 | पत्रावली पेश हुई। कोर्ट कार्य में व्यस्तता से आदेश नहीं लिखवाया जा सका, पत्रावली वास्ते उभयपक्ष बहस हेतु 6/6/2022 को पेश हो। S.D.O |
| 06/01/22 | वकुलान उप०। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते सुनाने आदेश दिनांक 14/6/2022 को पेश हो। S.D.O. |
| 14.06.22 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 R 11 (ए व डी) CPC सपठित धारा-54 भूमि अवाप्ति अधिनियम एवं धारा-63 राज. काश्त. अधि.- 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया वादीया द्वारा वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित ग्राम भीलगढ़ में स्थित वाद-ग्रस्त आराजी वादीया के पिता आराजी मय [illegible] का उक्त भूमि में 1/6 हिस्सा होने के आधार पर स्वयं का पिता के 1/6 हिस्सा का [illegible] हिस्सा की खातेदार काश्तकार होना व पैतृक पुश्तैनी होने के आधार पर खातेदारी अधि. घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद-पत्र विरुद्ध प्रति. प्रस्तुत किया, वादीया द्वारा वाद पत्र के पद संख्या 3 में विवादित भूमि की अवाप्ति की कोई जानकारी नहीं होना एवं आगे यह कथन किया कि अवाप्त |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:19 IST
Reason: SelfAttested

173/2017

| म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए |
|---|---|---|

की गई भूमि का मुआवजा नहीं देना व पैरा संख्या 5 में "प्रतिवादी संख्या 3 ने जो अवाप्ति गलत व गैरकानूनी रूप से करवाई है जो काल न वाद है, जिसकी कानूनन कोई मामला नहीं है।। यानि वादिया वाद-पत्र के अभिवचनों से भूमि अवाप्त होना स्वीकार करती है।

यह कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2068 रकबा 4-14 बीघा, ख.नं. 2070 रकबा 02 बिस्वा को प्रकरण संख्या 37/2008 दिनांक 25.8.2009 एवं खसरा संख्या 2012, 2022 व 2024 की भूमि प्रकरण संख्या 68/8 दिनांक 25.08.2009 को भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जैतारण) द्वारा मुआवजा का निर्धारण कर सम्पूर्ण भूमि अवाप्त कर ली गई, जिसमें समस्त खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है, अतः यह भूमि राज काश्त अधि. 1955 की धारा-63(1)(iii) के अनुसार उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। अतः हस्तगत वाद-पत्र विधि द्वारा वर्जित है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में केवल भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा-54 के तहत केवल भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अपील करने का प्रावधान है। ऐसी भूमि में सहायक कलक्टर को स्वत्वाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है।

अप्रार्थी वादी द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना-पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रति. सं. 1 व 2 ने राजस्व अधिकारी से मिलीभगत करके केवल राजस्व नाम दर्ज कराया है। उक्त आराजी वादिया की पैतृक पुश्तैनी आराजी है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में वादिया को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था। अतः वादिया [illegible] नहीं है। वादिया द्वारा [illegible] घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद पेश किया है जो कानूनन सही है। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज फरमावें।

वाद-पत्र एवं वादिया के जवाब प्रार्थना-पत्र के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:19 IST
Reason: SelfAttested

173/2017

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व… जो इस… मे जारी… |
|---|---|---|

होकर भूमि अवाप्त हो चुकी है। राज० काश्त० अधि० – 1955 की धारा – 63(1)(iii) में यह विधिक उपबन्ध है कि भूमि अवाप्ति अधि० के अन्तर्गत अवाप्त भूमियों में खातेदारी अधिकार निर्वापित हो जाते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत भूमि अवाप्ति से सम्बन्धित दस्तावेजात यथा भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जैतारण) द्वारा प्रकरण सं. 37/2008 निर्णय दिनांक 25.08.2009 प्रकरण 68 निर्णय दिनांक 25.08.2009 द्वारा पारित भूमि अवाप्ति अवार्ड अन्तर्गत धारा 11(1) एवं 11(2) केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधि– 1894, कब्जा सुपुर्दगी/प्राप्ति पत्र दिनांक 27.3.2010 ग्राम भीवगढ़ की नामान्तरण पंजिका की नामान्तरण संख्या 787 दिनांक 31.03.2010, 755 दिनांक 31.03.2010 एवं ग्राम भीवगढ़ की जमाबन्दी संवत 2072 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी नियमानुसार अवाप्त की जाकर प्रति सं. 3 के नाम दर्ज हो चुकी है, अवाप्त भूमियों में खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाते हैं तथा ऐसी भूमियों में खातेदारी अधिकार सृजित/हस्तान्तरित नहीं हो सकते, अतः वाद-ग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वादीया का हस्तगत वाद-पत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा राज० काश्त० अधिनियम - 1955 की धारा - 63 एवं भूमि अवाप्ति अधि० 1894 की धारा - 54 की विधिक उपबन्धों से बाधित होने तथा न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र कबूल साबित होता है, अतः वादीया का वाद-पत्र 07 R 11 (ए, डी) CPC के तहत विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्तर पर [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर कार्यालय के एवं काम होकर [illegible] दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

S.D.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:19 IST
Reason: SelfAttested